इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 18185-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई 2017 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१७

मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. सक्षम प्राधिकारी.

४. समाधान राशि.

५. समाधान की शर्तें.

६. आवेदनों का निराकरण.

७. भूलों का परिशोधन.

८. अपील.

९. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण.

१०. पुनर्विलोकन.

११. अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति.

१२. नियम बनाने की शक्ति.

१३. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१४. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१७

मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, २०१७

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम १९५८ (निरसित), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन पुरानी बकाया राशि के समाधान के लिए तथा उनसे संबंधित मामलों तथा उससे अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अधिनियम, २०१७ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अपीली प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा ८ में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी;

(ख) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियमों के अधीन पुरानी बकाया के भुगतान का दायी है और उसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के अधीन शर्तों के अनुपालन द्वारा समाधान की प्रसुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है, पुरानी बकाया राशि का समाधान करने की वांछा करता है;

(ग) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२ की धारा ३ के अधीन नियुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी;

(ङ) ''पुरानी बकाया'' से अभिप्रेत है,—

(एक) किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है;

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन देय ब्याज;

(तीन) सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति,

किसी कानूनी आदेश के संबंध में, जिसके लिये ३१ मार्च, २०१२ को या उसके पूर्व समाप्त होने वाली किसी कालावधि हेतु निर्धारण और/या शास्ति के किसी आदेश के संबंध में समाधान चाहा गया है, जो धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन फाईल करने की तारीख को भुगतान के लिये शोध्य हो:

परन्तु ''पुरानी बकाया'' में मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५५ या ५७ के अधीन की गई किसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी कानूनी आदेश द्वारा सृजित कोई मांग और सुसंगत अधिनियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कर योजनाओं के स्थगन से संबंधित कोई बकाया सम्मिलित नहीं होगी;

(च) ''समाधान आदेश'' से अभिप्रेत है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कर की पुरानी बकाया राशि के समाधान के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई आदेश;

(छ) ''सुसंगत अधिनियम'' से अभिप्रेत है,—

(एक) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (निरसित);

(दो) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित);

(तीन) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२);

(चार) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४);

और इसमें इनके अधीन बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचनाएं सम्मिलित हैं;

(ज) ''समाधान राशि'' से अभिप्रेत है, आवेदक द्वारा समाधान के लिए उसके आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली पुरानी बकाया राशि;

(झ) ''कानूनी आदेश'' से अभिप्रेत है, देय कर और / या ब्याज और / या शास्ति की मांग करने वाला सुसंगत अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश.

(२) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो कि इस अधिनियम में प्रयोग की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जैसा कि सुसंगत अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित किया गया है.

सक्षम प्राधिकारी.

३. (१) वाणिज्यिक कर आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त होगा.

(२) आयुक्त की सहायता के लिए, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ की उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ की उपधारा (४) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.

(३) उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को किसी एक आवेदक द्वारा फाईल किये गये समस्त आवेदनों में अंतवर्लित पुरानी बकाया की कुल राशि की निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार अधिकारिता होगी—

(एक) ५ लाख रुपए से अनधिक राशि के लिये सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी;

(दो) १५ लाख रुपए से अनधिक राशि के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी;

(तीन) किसी भी राशि के लिए सहायक आयुक्त:

परन्तु आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किसी एक या समस्त आवेदनों को, एक सक्षम प्राधिकारी से अन्य सक्षम प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा.

समाधान राशि.

४. (१) समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संदाय की जाने वाली समाधान राशि, पुरानी बकाया की कुल राशि का ४० प्रतिशत अथवा पुरानी बकाया में अंतर्वलित कर की राशि का १०० प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी:

परन्तु जहां पृथक् शास्ति आदेश पारित किया गया है जिसके लिए समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है वहां निर्धारण के सुसंगत कानूनी आदेश के अनुसार जो शास्ति के ऐसे पृथक् आदेश से संबद्ध है, बकाया कर की १०० प्रतिशत राशि का भुगतान करना आज्ञापक होगा:

परन्तु यह और कि समाधान राशि की संगणना के लिए, यदि किसी कानूनी आदेश के संबंध में पूर्व में किसी अंश का भुगतान कर दिया गया था तो ऐसी संदत्त राशि कानूनी आदेश में निर्धारित कर, ब्याज तथा शास्ति की राशि के अनुपात में उस कानूनी आदेश के अनुसार कर, ब्याज तथा शास्ति की प्रारंभिक बकाया राशि के विरुद्ध आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी.

(२) समाधान राशि का भुगतान, यथास्थिति, सुसंगत अधिनियम के अधीन या मध्यप्रदेश वेट नियम, २००६ के नियम ३७ के उपनियम (६) के अधीन विहित चालान के प्ररूप में इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा.

समाधान की शर्तें.

५. (१) समाधान चाहने वाला आवेदक, मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ३ सन् २०१७) के प्रवृत्त होने की तारीख से साठ दिवस के भीतर, आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में, धारा ४ की उपधारा (१) के अनुसार आवश्यक समाधान राशि के भुगतान के प्रमाण के साथ, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु राज्य सरकार यदि लोकहित में यह आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा उक्त कालावधि को, ३० दिन की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

(२) आवेदक द्वारा प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन, प्रत्येक कानूनी आदेश के लिये पृथक् आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे. आवेदनों के साथ आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में समस्त आवेदनों का सारांश भी प्रस्तुत किया जाएगा. सभी आवेदन, आवेदक द्वारा एक ही प्रयास में फाईल किए जाएंगे.

(३) आवेदक, सुसंगत अधिनियम के अधीन पुरानी बकाया की ऐसी राशि के संबंध में किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष, किसी लंबित अपील, पुनरीक्षण या किसी याचिका के बारे में प्रगटन करेगा और यदि किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई याचिका लंबित है तो उसके द्वारा यह कथन करते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन समाधान का लाभ उठाने की दशा में वह कानूनी आदेश के विरुद्ध किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष लंबित ऐसा मामला प्रत्याहरित कर लेगा. जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाधान आदेश पारित कर दिया जाता है तब आवेदक ऐसी लंबित सुसंगत अपील, पुनरीक्षण या कोई याचिका तत्काल प्रत्याहरित करेगा एवं समाधान आदेश प्राप्त करने के ७ दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का युक्तियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जिसमें असफल होने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसका समाधान आदेश रद्द किये जाने का दायी होगा.

(४) आवेदक, समाधान की अतिरिक्त राशि का, यदि धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, भुगतान करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा.

(५) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन समाधान का आदेश पारित होने के पश्चात् आवेदक को किसी मंच में उस कानूनी आदेश को जिसके संबंध में समाधान आदेश पारित किया गया है, चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा.

(६) इस अधिनियम या सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी दशा में, आवेदक द्वारा समाधान राशि या अतिरिक्त समाधान राशि के रूप में निक्षिप्त की गई राशि से कोई राशि प्रतिदाय नहीं की जाएगी.

(७) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यदि कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो आवेदक द्वारा निक्षिप्त की गई समाधान की राशि/अतिरिक्त राशि, आवेदक की पुरानी बकाया के विरुद्ध समायोजित की जाएगी.

(८) सुसंगत अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आवेदन उपधारा (१) के अधीन फाईल किया जाता है तो फाईल किए गए आवेदन में अंतर्वलित पुरानी बकाया की वसूली, धारा ६ की उपधारा (३) के अनुसार अथवा धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अनसुार आवेदन के अंतिम निराकरण तक रुकी रहेगी:

परन्तु जहां धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तु के अनुसार आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो वसूली पर ऐसी रोक, धारा ८ के अधीन अपील फाईल करने की कालवधि समाप्त होने तक जारी रहेगी. यदि धारा ८ के अधीन कोई अपील फाईल की जाती है तो वसूली पर ऐसी रोक, अपील के नामंजूर होने या धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन प्रतिप्रेषित आवेदन के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी.

आवेदनों का निराकरण.

६. (१) सक्षम प्राधिकारी दाखिल किए गए आवेदनों की संवीक्षा करेगा और यदि वे किसी भी रीति में अपूर्ण या अशुद्ध पाए जते हैं तो आवेदन दाखिल करने के ३० दिन के भीतर आवेदक को उसमें सुधार करने के लिए एक नोटिस, ऐसे नोटिस के संसूचित किए जाने के ७ दिन के भीतर जारी किया जाएगा.

(२) आवेदक, नोटिस की संसूचना के ७ दिन के भीतर त्रुटियों को ठीक करेगा तथा समाधान की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा तथा तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ब्यौरे प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां आवेदक उपरोक्तानुसार उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए तथा सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा समाधान के लिए प्रस्तुत आवेदन नामंजूर कर सकेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा इस अधिनियम की सभी शर्तों की पूर्ति किये जाने के बारे में समाधान होने के पश्चात्, प्रत्येक आवेदन के लिए, उसमें स्वीकृत समाधान की राशि तथा पुरानी बकाया राशि के अधित्याग को विनिर्दिष्ट करते हुए, पृथक् से समाधान आदेश जारी करेगा. यह समाधान आदेश, आवेदक द्वारा आवेदन फाईल किये जने के ७५ दिन के भीतर पारित किया जाएगा. यह आदेश आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा:

परन्तु जहां कि कोई आवेदन धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को पुनर्विचार के लिये प्रतिप्रेषित किया जाता है, वहां यथास्थिति, उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार समाधान आदेश अथवा आवेदन की नामंजूरी का आदेश अपील आदेश के पारित होने के ३० दिनों के भीतर पारित किया जाएगा.

(४) सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आवेदक को, सुसंगत अधिनियमों के अधीन उसके द्वारा देयकर की पुरानी बकाया राशि का संदाय करने के उसके दायित्व से, जिसके लिए समाधान आदेश पारित किया गया है, उन्मोचित किया गया समझा जाएगा और समाधान आदेश के अनुसार इस अधिनियम के अधीन जमा तथा अधित्याग की गई राशि के आधार पर सुसंगत अधिनियम के अधीन शास्ति/ब्याज अधिरोपित करने की आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

भूलों का सुधार

७. सक्षम प्राधिकारी—

(क) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन समाधान आदेश पारित किये जाने की तारीख से ९० दिन के भीतर किसी भी समय, स्वप्रेरणा से; या

(ख) किसी आवेदक द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ९० दिन के भीतर, किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल को या किसी लोप के कारण उसमें उद्भूत किसी त्रुटि को सुधारने के लिए, धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन समाधान आदेश को परिशोधित करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु—

(एक) सक्षम प्राधिकारी, आवेदक के किसी आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि यह धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन उस आदेश की, जिसको सुधारना चाहा गया है, संसूचना की तारीख से ३० दिन के भीतर नहीं किया गया है;

(दो) कोई भी ऐसा परिशोधन, यदि वह आवेदक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसा किये जाने के अपने आशय की सूचना आवेदक को नहीं दे दी हो तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

अपील

८. (१) धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अपीली प्राधिकारी को होगी, जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ की उपधारा (४) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाला वाणिज्यिक कर विभाग का संभागीय उपायुक्त होगा.

(२) आवेदक, धारा ६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से ३० दिन के भीतर फाईल कर सकेगा.

(३) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन पारित समाधान आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.

(४) अपीली प्राधिकारी, प्रत्येक अपील का निराकरण, ऐसी अपील फाईल किये जाने की तारीख से ३० दिन के भीतर करेगा तथा अपील का निराकरण करने में अपील प्राधिकारी—

(एक) आवेदन की नामंजूरी के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा आवेदन पुनर्विचार के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक को उसका आवेदन नामंजूर करने

के पूर्व यथोचित अवसर नहीं दिया गया था अथवा आवेदक के निवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार किया जाने की आवश्यकता है, अथवा

(दो) अपील को नामंजूर कर सकेगा.

(५) समाधान के लिए प्रतिप्रेषित किये गये आवेदन की नामंजूरी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जहां कि ऐसा आवेदन उपधारा (४) के अधीन एक बार प्रतिप्रेषित किया जा चुका था.

समाधान आदेश का प्रतिसंहरण.

९. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने कोई तात्विक जानकारी या विशिष्टियों को छिपाते हुए अथवा कोई गलत या असंत्य जानकारी देकर समाधान का लाभ प्राप्त किया है अथवा यदि सुसंगत अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित कार्यवाहियों में तात्विक तथ्यों का कोई छिपाव, किन्हीं विशिष्टियों का छिपाया जाना पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन पारित समाधान के आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा. ऐसी दशा में आवेदक द्वारा जमा की गई समाधान की राशि को उसके बकाया शोध्यों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा.

पुनर्विलोकन.

१०. आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किसी भी समय पुरानी बकाया के समाधान के आदेश की संसूचना की तारीख से १२ कैलेंडर मास के भीतर, ऐसे आदेश के अभिलेख मंगा सकेगा और जहां तक यह राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, आवेदक पर सूचना की तामील कर सकेगा और जहां आवश्यक हो, अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा.

इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति.

११. (१) आयुक्त, समय-समय पर, ऐसे अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वह उचित समझे.

(२) आयुक्त, आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्ररूपों तथा परिशिष्टों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

१२. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत लिखित आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१४. (१) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ३ सन् २०१७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

बजट भाषण २०१६-१७ में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों को प्रभावशील बनाने की दृष्टि से, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (निरसित), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (क्रमांक ७४ सन् १९५६) के अधीन सरकार पुरानी बकाया राशि के समाधान के लिये इसे समीचीन मानती है. ऊपर उल्लिखित अधिनियमों के अधीन लंबित पुरानी बकाया की बड़ी संख्या में राजस्व की बड़ी राशि अन्तर्ग्रस्त है. अतएव, ३१ मार्च, २०१२ को या उससे पूर्व समाप्त होने वाली कालावधि के लिए निर्धारण और/या शास्ति के किसी आदेश से संबंधित किसी कानूनी आदेश के संबंध में पुरानी बकाया के समाधान हेतु एक अधिनियम उपबंधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ३ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश विधान मण्डल का एक अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १८ जुलाई, २०१७.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ११, १२ एवं १३ द्वारा विधायनी शक्तियें का निम्नानुसार प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा हैं :—

खण्ड ११ द्वारा आयुक्त को अनुदेश तथा निर्देश जारी करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रारूप तथा परिशिष्ट जारी करने;

खण्ड १२ द्वारा राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन नियम बनाने; तथा

खण्ड १३ द्वारा राज्य सरकार को लिखित आदेश से इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में कठिनाइयां दूर करने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

वर्ष २०१६-१७ के बजट भाषण में बकाया करों की वसूली हेतु समाधान योजना लाए जाने की घोषणा की गई थी. उक्त बजट भाषण को प्रभावशील करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (निरसित), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् ११९५) (निरसित), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (क्रमांक ७४ सन् १९५६) के अधीन पुरानी बकाया राशियों के समाधान के लिये दिनांक २९ मई, २०१७ से अध्यादेश लागू किया गया है. इस अध्यादेश के द्वारा ३१ मार्च, २०१२ को या उससे पूर्व समाप्त होने वाली कालावधि के लिए पुरानी करों/शास्ति की राशियों के समाधान हेतु प्रावधान किए गए हैं.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतः मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ३ सन् २०१७) दिनांक २९ मई, २०१७ से प्रख्यापित किया गया. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर बिना किसी उपांतरण के मध्यप्रदेश विधान मण्डल के समक्ष विधेयक लाया जा रहा है, ताकि अध्यादेश के स्थान पर विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमित विधि के स्वरूप में उक्त प्रावधान लाए जा सकें.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.